सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 236/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–27.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प गुलगांव में पेश हुई। वादी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि **वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 340 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 326, 3417/326, 3438/323, 3439/324 कुल किता 4 कुल रकबा 2.45 हैक्ट.** भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है एवं अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार हिस्सा नही है। अन्य खातेदारान की नियत बद्ध है तथा वे नाजायज व अनाधिकृत तरीके से वादी की वादग्रस्त आराजी की तरफ बढकर कब्जा करने पर आमादा है जिसके कारण वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है। जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट गुलगांव में पेश हुई जहां वादी उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार केकड़ी की ओर से मौका रिपोर्ट पेशा हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार केकड़ी की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता स. 340 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 326, 3417/326, 3438/323, 3439/324 कुल किता 4 कुल रकबा 2.45 हैक्ट. भूमि में बृजेन्द्र प्रताप सिंह वल्द हरनाथ सिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का **वाके ग्राम ग्राम सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 340 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 326, 3417/326, 3438/323, 3439/324 कुल किता 4 कुल रकबा 2.45 हैक्ट.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी